संख्या-183/2018/2557/22-2-2017-17(697)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 26 फरवरी, 2018**

विषय:- जिला कारागार, जौनपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश कुमार सोनी उर्फ पप्पू पुत्र श्री मुन्नू सेठ, निवासी जनपद-जौनपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय कारागार के पत्र संख्या-35142/प्रोबेशन-7/सीमित सजा/(एम 02.05.2017) दिनांक 26.09.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, जौनपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश कुमार सोनी उर्फ पप्पू पुत्र श्री मुन्नू सेठ, जो गुर्जीखानी शकर मण्डी, थाना-कोतवाली, जनपद-जौनपुर का रहने वाला है। दहेज में 20.000/- रूपये की मांग पूरी न होने के कारण 06 सहअभियुक्तो के साथ मिलकर दिनांक 07-01-1998 को अपनी पत्नी सुनीता को जलाकर मार दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-214/1998 में भा0द0वि0 की धारा- 304 बी, 498 ए, एवं धारा 3/4 डी0पी0एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं0-1, जौनपुर के आदेश दिनांक 21.04.2001 द्वारा दस वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.01.2014 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 04.04.2017 तक 07 वर्ष 02 माह 04 दिन की अपरिहार सजा तथा 07 वर्ष 09 माह 22 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने यह अंकित करते हुए कि बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, समिति की बैठक द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राजेश कुमार सोनी उर्फ पप्पू पुत्र श्री मुन्नू सेठ को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी राजेश कुमार सोनी उर्फ पप्पू (बन्दी संख्या-47/14) पुत्र श्री मुन्नू सेठ, निवासी जनपद-जौनपुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-183/2018/2557(1)/22-2-2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-जौनपुर।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, जौनपुर।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-183/2018/2557@22-2-2017-17(697)/2017

दिनांक 26 फरवरी, 2018 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

जिला कारागार, जौनपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश कुमार सोनी उर्फ पप्पू पुत्र श्री मुन्नू सेठ, जो गुर्जीखानी शंकर मण्डी, थाना-कोतवाली, जनपद-जौनपुर का रहने वाला है। दहेज में 20.000/- रूपये की मांग पूरी न होने के कारण 06 सहअभियुक्तो के साथ मिलकर दिनांक 07-01-1998 को अपनी पत्नी सुनीता को जलाकर मार दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-214/1998 में भा0द0वि0 की धारा- 304 बी, 498 ए, एवं धारा 3/4 डी0पी0एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं0-1, जौनपुर के आदेश दिनांक 21.04.2001 द्वारा दस वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.01.2014 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 04.04.2017 तक 07 वर्ष 02 माह 04 दिन की अपरिहार सजा तथा 07 वर्ष 09 माह 22 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने यह अंकित करते हुए कि बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, समिति की बैठक द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राजेश कुमार सोनी उर्फ पप्पू पुत्र श्री मुन्नू सेठ को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।